[2/3/2023]

प्रश्न सं. [क्र. 609]

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म.प्र.

क्रमांक / 2841 /जाति प्रमाण-पत्र/22 नरसिंहगढ़, दिनांक 26/12/2022

प्रति,

श्रीमान आयुक्त महोदय,
अनुसूचित जाति विकास म०प्र०
35,श्यामला हिल्स राजीव भवन
भोपाल म०प्र०

विषय :- विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 749 एवं 1544 मान. श्री राज्यवर्धनसिंह विधायक नरसिंहगढ़ को दिये गये उत्तर के परिपालन मे राज्य स्तर पर छानबीन समिति से प्रकरण की जॉच कराने बावत्।

संदर्भ :- अपर कलेक्टर महोदय,जिला राजगढ़ का पत्र पृ. कमांक वि.स /जातिप्रमाण-पत्र/ 2022/ 520 राजगढ़ दिनांक 13.12.2022

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि विधानसभा प्रश्न कमांक 749 एवं 1544 के संदर्भ मे अपर कलेक्टर महोदय,जिला राजगढ़ द्वारा श्रीमान को श्री नरेन्द्र सिंह पिता उमरावसिंह निवासी ग्राम हुलखेडी तहसील नरसिंहगढ़ द्वारा पिछडा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 2 जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर इनके विरूद्व कार्यवाही किये जाने हेतु राज्य स्तरीय छानबीन समिति से जॉच कराये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है। जिसके संबंध मे इस न्यायालय को निर्देशित किया गया है कि श्री नरेन्द्र सिंह पिता उमरावसिंह निवासी ग्राम हुलखेडी तहसील नरसिंहगढ के जाति प्रमाण पत्रो से संबंधित दस्तावेजो आयुक्त अनुसूचित जाति विकास म०प्र० 35 श्यामला हिल्स राजीव भवन भोपाल को विशेष वाहक के माध्यम से तत्काल भिजवाये जावे।

अतः नायब तहसीलदार कुरावर न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0004/बी-121/2009-10 ग्राम हुलखेडी की सत्यप्रतिलिपि एवं इस न्यायालय का प्रकरण कमांक 9379/बी-121/2014-15 ग्राम हुलखेडी की सत्यप्रतिलिपि आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व नरसिंहगढ़

नरसिंहगढ़, दिनांक 26/12/2022

पृ०कमांक / 2841 /जाति प्रमाण पत्र/22
प्रतिलिपि :-
अपर कलेक्टर महोदय,जिला राजगढ़ की ओर संदर्भित पत्र के पालन मे सूचनार्थ प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व नरसिंहगढ़

स्टेनो

NRI Prn 609

"परि०-02 - ब"

कार्यालय आयुक्त,अनुसूचित जाति विकास, म०प्र०

राजीव गांधी भवन,35 श्यामला हिल्स, भोपाल

क्रमांक / अनुसंधान/ 247/2022-23/ 8927

प्रति,

भोपाल, दिनांक 20.02.2023,

पुलिस अधीक्षक,

राजगढ़ (म०प्र०)

विषय:- श्री नरेन्द्र सिंह सिसोदिया आत्मज श्री उमरावसिंह सिसोदिया, के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बावत्।

--00--

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र छानबीन समिति को श्री नरेन्द्र सिंह सिसोदिया आत्मज श्री उमरावसिंह सिसोदिया, निवासी ग्राम हुलखेड़ी तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ म.प्र. को अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणिकरण) अनुभाग नरसिंहगढ जिला राजगढ (म.प्र.), से प्रकरण क्रमांक 134/ बी 121/06-07 दिनांक 26/10/06, जारी सांसी अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण-पत्र समिति को जांच हेतु विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 609 माननीय सदस्य श्री राज्यवर्धन सिंह, म.प्र.से प्राप्त हुआ है।

अतः जाति प्रमाण-पत्र छानबीन समिति की निर्धारित प्रकिया अनुसार जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं जाति प्रमाण-पत्र की वैधता के परीक्षण हेतु निर्धारित प्रारूप की प्रति संलग्न प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि प्रकरण की जांच निम्न बिन्दुओ के आधार पर करते हुए विस्तृत जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करावें:-

1 जांच की जावे कि विचाराधीन जाति प्रमाण-पत्र वैधानिक रूप से जारी हुआ है अथवा नहीं ?

2. जांच में यह भी पता लगाया जावे कि अनावेदक किस जाति की है और वह जिला राजगढ संभाग भोपाल म०प्र० में कब से निवासरत है।

3. जांच में यह पता लगाया जाना है कि अनावेदक के पूर्वज दिनांक 10/08/1950 की स्थिति में किस स्थान के मूल निवासी थे और किस जाति के थे । निवास एवं जाति संबंधी तथ्यों की पुष्टि हेतु तत्समय के राजस्व अभिलेख अथवा इसी विषयक अन्य प्रामाणिक अभिलेखों की अभिप्रमाणित प्रतियां एवं विभिन्न व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों/ प्रधान पाठक/ प्राचार्य इत्यादि से लिए गए बयान उपलब्ध करावें।

4. शंकास्पद जाति प्रमाण-पत्र धारक के प्राथमिक स्तर पर शाला प्रवेश के समय शाला दाखिला पंजी में दर्ज जाति एवं उसकी पुष्टि हेतु शाला का स्कालर पंजी की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जावे।

5 अनावेदक द्वारा अनुसूचित जाति छात्रवृति प्राप्त करने एवं छात्रावास में प्रवेश संबंधी अभिलेख उपलब्ध करावे

6. पिता के शैक्षिणिक अभिलेखों में दर्ज जाति एवं उसकी पुष्टि हेतु शैक्षणिक अभिलेखों की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
7. पिता,दादा, एवं अन्य निकट परिजनो के जाति प्रमाण-पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराई जावे।
8. यदि पिता,दादा, भाई, बहन अथवा अन्य कोई परिजन शासकीय सेवा में है तो विवरण देते हुए उनकी सेवा-पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जावे।
9. अनावेदक द्वारा जनप्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करने हेतु आरक्षित वर्ग से लाभ लिए जाने का पूर्ण विवरण एवं जानकारी प्रामाणिक अभिलेखों के साथ दी जावे।
10. जाति प्रमाण-पत्र की वैधता के परीक्षण हेतु आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित प्रारूप के सभी बिन्दुओं की पूर्ति अनावेदक से कराई जाकर जॉचकर्ता एवं अनावेदक के हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराई जावे।
11. प्रकरण में शिकायतकर्ता से शिकायत की तथ्यों की पुष्टी में तथ्य एवं कथन लिये जावें।

कृपया उक्त बिन्दुओं के आधार पर बिन्दुवार तथ्यात्मक पूर्ण जांच प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित तथ्यों की पुष्टि में प्रामाणिक साक्ष्यों एवं अभिप्रमाणित अभिलेखों की पठनीय प्रतियों सहित 15 दिवस में गोपनीय रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न-(1) जाति प्रमाण-पत्र ।

(2) जाति वैधता प्रारूप 4 पृष्ठीय ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ से प्राप्त विवरण।

20/2/23

(संजय वार्ष्णेय)
अपर संचालक
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

D.K.Soni
SO